डीजी–परिपत्र संख्या–35/2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः अक्टूबर 15 ,2020

विषयः–महिलाओं एवं बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों की प्रभावी रोकथाम हेतु चलाये जाने वाले विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सभी अवगत हैं कि महिलाओं/बच्चियों के विरूद्ध होने वाले अपराधों की प्रभावी रोकथाम करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। आप सभी को महिलाओं/बच्चियों के विरूद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम और इनकी विवेचना में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय–समय पर आवश्यक दिश।–निर्देश इस मुख्यालय से परिपत्रों के माध्यम से दिये गये हैं।

आप सभी सहमत होगें कि महिलाओं एवं नाबालिग बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराध जैसे बलात्कार, अपहरण, छेड़खानी, चैन–स्नैचिंग, शीलभंग एवं पॉक्सो एक्ट इत्यादि की घटनायें अत्यन्त निन्दनीय हैं। इस प्रकार घटित होने वाली घटनाओं से जहॉ समाज में असुरक्षा की भावना जाग्रत होती है वहीं पुलिस की गरिमा एवं सकारात्मक छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतएव आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं/बच्चियों के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों एवं उनके उत्पीड़न के रोकथाम हेतु दिनांक 17.10.2020 से अगले 06 माह तक (अगले बासन्तिक नवरात्रि–2021) एक समग्र अभियान "**मिशन शक्ति**" चलाया जायेगा। जिसका प्रथम चरण आगामी शारदीय नवरात्रि दिनांक 17.10.2020 से 25.10.2020 तक की अवधि में विशेष रूप से चलाया जायेगा। अभियान के दौरान महिला सम्बन्धी अपराधों में प्रकाश में आये अभियुक्तों को उनके सामाजिक दायित्व का बोध कराते हुये उनके परिवारीजनों को भी इस सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।

उक्त अभियान को सफल बनाये जाने के दृष्टिगत आपके मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु निम्नांकित बिन्दु इंगित जा रहे हैं:–

➢ मिशन शक्ति का उद्देश्य

जनपद स्तर पर सार्वजनिक स्थलों जैसे–चौराहों, बाजारों, मॉल्स, कालेज, कोचिंग संस्थान व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं छात्राओं के साथ राह चलते छेंड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियों इत्यादि की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से निम्न कार्यवाहियॉ किया जाना आवश्यक है:–

- यह सामाजिक अपराध है, जिसमें जनमानस में सामाजिक उत्तरदायित्व को जागृत करना।
- इस अभियान को सफल बनाने हेतु प्रदेश के ग्राम स्तर तक थाने की पुलिस की पहुंच हो तथा अभियान के सम्बन्ध में पुलिसजन के माध्यम से गांव समाज को भी सक्रिय किया जाये।
- उपद्रवी एवं दिग्भ्रमित युवाओं को चिन्हित कर समाज में उन्मुख करना।
- भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति क्षीण करना।

➢ मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपदों में की जाने वाली कार्यवाही का विवरण

- जनपद में मिशन शक्ति के सफल कियान्वयन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद में नियुक्त वरिष्ठ महिला- पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेंगें।

Scanned by CamScanner

- महिला सम्बन्धी अपराधों (हत्या, बलात्कार, शीलभंग, छेंड़खानी, पॉक्सो एक्ट) में प्रकाश में आये अभियुक्तों तथा जेल से बाहर आये अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किया जाये।
- Crime Mapping के जरिये Vulnerable Spots को चिन्हित कर जैसे बाजार, बालिका विद्यालयों के आस–पास गॉव के मध्य चौराहे इत्यादि पर जनपदीय पुलिस द्वारा अवांछनीय तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही की जाये।
- इस प्रकार के अपराधों मे संलिप्त अराजक तत्वों को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
- प्रदेश के सभी थानों पर कार्यरत महिला पुलिस कर्मियों को सशक्त करते हुए मिशन शक्ति अभियान पर कार्य करने के लिये ब्रीफ किया जाये।
- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में अभियुक्त के जमानतदार को भी इस अभियान में काउन्सिलिंग कर उन्हें भी उत्तरदायी बनाया जाये।
- अपराध रजिस्टर को अद्यावधिक कर सभी प्रकार के महिला अपराधों की जानकारी पूर्ण कर ली जाये।
- इस अभियान मे पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों मे अभियुक्तों को शीघ्र सजा कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये। विवेचनाओं को अल्पतम अवधि में पूर्ण कराया जाये।
- बीट प्रभारी, थानाध्यक्ष व क्षेत्राधिकारी के ग्राम भ्रमण के दौरान ऐसे अभियुक्तों अथवा उपद्रवी तत्वों को बुलाकर उनकी काउन्सिलिंग करते हुए इस प्रकार के अपराध न करने की सख्त हिदायत दी जाये।
- मिशन शक्ति के जनपदीय नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर ग्राम पंचायत स्तर पर प्रसारित किये जाये ताकि इस प्रकार के अपराध मे संलिप्त तत्वों का शीघ्रता से पता लगाया जा सके।
- अपराध रजिस्टर से महिला सम्बन्धी अपराधों की क्षेत्रवार सूचना की लिस्ट तैयार कराकर बीट आरक्षी के निगरानी हेतु दी जाये।
- सभी अभियुक्तों तथा चिन्हित किये गये व्यक्ति की अद्यावधिक सूचना नाम, मोबाइल नम्बर, जमानतदार के साथ क्षेत्राधिकारी के कार्यालय पर रखी जाये।
- जनपद के सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि वे प्रत्येक बीट कान्स्टेबल की बीट सूचना रजिस्टर को अद्यावधिक है अथवा नही का निरीक्षण कराते हुए पूर्ण करायें।
- थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में स्थित बालिका विद्यालयों/कालेजों के प्रधानाचार्य व अध्यापकों के सम्पर्क में रहेंगे। इस हेतु समय–समय पर उनके साथ गोष्ठी कर समन्वय स्थापित करते हुये उनसे शोहदों/मनचलों के बारे में जानकारी एकत्रित कस्ते हुये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।
- जनपद के सभी थानों मे **गठित एण्टी रोमियो स्क्वायड** में नियुक्त महिला पुलिस कर्मी सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा–स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आस–पास तथा मॉल्स, बाजार व ऐसे स्थान जहॉ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता हो, को भौतिक रूप से चिन्हित कर लें, जहॉ शोहदों/मनचलों के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतें की जाती है। ऐसे स्थानों की सतत निगरानी करते हुए ऐसे तत्वों के विरूद्ध कड़ी एवं अनवरत विधिक कार्यवाही की जाये।
- शहर के बाहरी छोर (Outskirts) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी से दूर स्थित बालिकाओं के विद्यालयों/कोचिंग संस्थानों को एण्टी रोमियो स्क्वायड के कार्यक्षेत्र में अवश्य रखा जाये तथा आवश्यकतानुसार टीम के सदस्यों की बदली कर लगाया जाये, ताकि टीम के सदस्यों की पहचान उजागर न हो। थाना स्तर पर ऐसे स्थलों का जहां असामाजिक तत्वों

Scanned by CamScanner

का स्थान/समय विशेष में आवागमन होता है, का एक रजिस्टर भी बना लिया जाये एवं समय–समय पर इसे अद्यतन किया जाये।

- प्रत्येक महिला महाविद्यालय/बालिका विद्यालय में एक शिकायत पेटिका लगवायी जाये तथा महिला विद्यार्थियों के मध्य प्रचारित–प्रसारित कराया जाये कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें अथवा अन्य महिलाओं को अमुक रास्ते अथवा जगह पर परेशान करता है तो इस सम्बन्ध में वे अपनी शिकायत, शिकायत–पेटिका में डाल सकती है, जिसमें शिकायतकर्ता का नाम डालना अनिवार्य नहीं होगा। इस शिकायत पेटिका को सप्ताह में 1–2 बार थानों की महिला आरक्षी के द्वारां खोला जाये और प्राप्त शिकायतों को थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये, जिस पर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाये तथा इसका अभिलेखीकरण भी किया जाये।
- जो लोग इस प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त पाये जाये, उन्हें कड़ी हिदायत देते हुये प्राथमिक रूप से counselling द्वारा उनकी सुधारात्मक कार्यवाही की जाये।
- सुधारात्मक उपाय विफल होने पर अथवा अपराध की गम्भीरता व गुरुता के दृष्टिगत धारा 151, 110 दं.प्र.सं. व 294, 354 भादंवि तथा गुण्डा एक्ट आदि सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत ठोस विधिक कार्यवाही तत्परतापूर्वक की जाये।
- यदि कोई व्यक्ति/युवक किसी महिला/युवती को कोई अश्लील शब्द कहता है अथवा छेंड़खानी करता है है अथवा पीछा करता है या घूरकर देखता है तो सम्बन्धित के विरुद्ध विधिक प्रविधानों के तहत कार्यवाही की जाये।
- प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वायड अभियान के दौरान बालिकाओं/महिलाओं से छेड़खानी करने वाले व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी दें। इस दौरान उनकी वीडियोग्राफी अवश्य की जाये। उनके अभिभावकों को भी विश्वास में लेकर उनके कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।
- एण्टी रोमियो स्क्वायड को Body worn camera भी उपलब्ध कराया जाये। जब इस प्रकार की गतिविधि करने वाले मनचलों को पकड़ा जाये तो उनकी फोटो ले ली जाये तथा फोटो गैलरी में एक एलबम बनाकर उसे सुरक्षित रख लिया जाये, जिससे उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनेगा तथा दुबारा गलती करने पर उनके विरुद्ध सम्यक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
- यदि किसी युवक द्वारा किसी बालिका/महिला के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक हरकत की जाती है। मोबाइल से या कैमरे से कोई फोटोग्राफ लेने का प्रयास किया जाता है अथवा कोई इशारा या अशोभनीय टिप्पणी किया जाता है अथवा बिना किसी कार्य या औचित्य के स्कूल, कालेज कोचिंग संस्थान आदि के समीप मौजूद रहता है तो पहली बार में उससे पूछताछ करते हुए चेतावनी दी जायेगी तथा उसका नाम/पता व मोबाइल नं0 नोट करते हुए उसे उसके परिजनों को सुपुर्द किया जायेगा। ऐसे युवक को आवश्यकतानुसार पूंछताछ व अग्रिम कार्यवाही हेतु थाने ले जाया जा सकता है।
- प्रत्येक थाने पर इस सम्बन्ध में एक रजिस्टर तैयार किया जाये, जिसमें चिन्हित स्थानों का विवरण, एण्टी रोमियो स्क्वायड द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण यथा–पकड़े गये मनचलों के नाम पता, मो0 नम्बर उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही जैसे–चेतावनी देना, अभिभावकों को बुलाकर उनके कार्य व आचरण के सम्बन्ध में अवगत कराना व वैधानिक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया जाये।
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले महिलाओं की असुरक्षा का कारण बनते हैं। अतः ऐसे स्थानों पर अभियान के दौरान सर्तक दृष्टि रखी जाये।
- प्रतिदिन अभियान में निकलने से पूर्व एण्टी रोमियो स्क्वायड में नियुक्त पुलिस कर्मियों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विधिवत ब्रीफिंग व मार्ग–दर्शन किया जाय।
- सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा यथासम्भव अपने क्षेत्र के सम्भ्रान्त/पुलिस मित्र व्यक्तियों से सम्पर्क में रहते ऐसे स्थलों एवं व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने

Scanned by CamScanner

हुये प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा एण्टी रोमियो स्क्वायड के कार्यो की साप्ताहिक समीक्षा वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा इसका सतत अनुश्रवण किया जायेगा।

- जनपद स्तर पर गठित महिला सहायता प्रकोष्ठ में एक सीयूजी नम्बर रखा जाये, जिसे महिला सम्बन्धी अपराधों के दृष्टिगत हेल्पलाइन की तरह इस्तेमाल किया जाये तथा इस नम्बर का अपेक्षित माध्यमों से समुचित प्रचार–प्रसार किया जाये।
- प्रत्येक थाने में **"महिला हेल्प डेस्क"** स्थापित किया जाना एक सुन्दर पहल है और इसे राज्य के समस्त 1535 थानों में स्थापित किये जाने की कार्यवाही तत्काल करते हुए प्रत्येक थाने पर **"मिशन शक्ति"** को पूर्ण रूप से सफल बनाने हेतु एण्टी रोमियो स्क्वायड का सक्रियता से प्रयोग किया जाये।

➢ **उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जायेः–**

- जनपद पुलिस का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वों/शोहदों से मुक्त कराना तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है, जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना बनी रहे, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करना नहीं है।
- निजी संगठनों/व्यक्तियों को इस कार्य में कदापि न लगाया जाये। मीडिया के माध्यम से जनसामान्य में यह प्रचार–प्रसार कराया जाये कि किसी के द्वारा स्वयं कार्यवाही न कर सम्बन्धित पुलिस थाने को सूचित किया जाये। गैर विधिक रूप से इस अभियान को चलाये जाने के प्रयास को गम्भीरता पूर्वक रोका जायेगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर बैठे हुये युगल, जो सामाजिक परम्पराओं के दायरे में रहते हुये मिल–जुल रहे हों, से परिचय पत्र मांगने, पूछतांछ करने, तलाशी लेने या अन्य जॉच के नाम पर उन्हें अप्रिय स्थिति का सामना करने जैसी कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- अभियान के नाम पर पुलिस टीमों द्वारा आम लोगों के साथ गैर विधिक कार्यवाही करते हुये किसी प्रकार की असुविधा अथवा कठिनाई उत्पन्न नहीं की जायेगी।
- जनपदीय पुलिस द्वारा अभियान के दौरान पकड़े गये किसी शोहदे के साथ किसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार, बाल कटवाना, मुर्गा बना देना, कालिख पोत देना एवं सार्वजनिक स्थल पर अभद्रता अथवा गैर कानूनी कार्य व आचरण नहीं किया जायेगा।
- जनपदीय पुलिस द्वारा ऐसा कोई व्यवहार कदापि नहीं किया जायेगा, जिससे जनता में पुलिस की छवि धूमिल हो एवं जनता में पुलिस के प्रति नकारात्मक संदेश जाये।

4. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तांकित बिन्दुओं का शत–प्रतिशत अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। इन निर्देशों की प्रति प्रत्येक थाने पर अपने स्तर से वितरण कराना सुनिश्चित करें।

सप्रेम,

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, डायल–112 उ0प्र0।
4. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner